"बिजनेस पोरट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी 2014—फाल्गुन 2, शक 1935

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-85/2013/मबावि/50.— राज्य शासन, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 3-3/2008/मबावि/50, दिनांक 06-08-2008 द्वारा जारी नियम "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नियम, 2008" का नाम परिवर्तित कर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नियम, 2014" करता है तथा नियम में जहां-जहां "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नियम, 2008" अंकित है, के स्थान पर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नियम, 2014" प्रतिस्थापित करता है.

2. नियम की शेष कंडिकाएं/प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे.

3. नियम के नाम में किया गया परिवर्तन/संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एन. एक्का, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.